मूल हिंदी में

भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 160
21.06.2019 को उत्तर के लिए

वन्य जीवों का अवैध शिकार और तस्करी

160. श्री दीपक बैज:

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के रिकॉर्ड के अनुसार, वर्ष 2012 से 2018 तक संरक्षित क्षेत्रों में शिकारियों द्वारा कई बाघों का अवैध शिकार किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है

(ख) क्या दुर्लभ वन्यजीवों की तस्करी अवैध शिकार का मुख्य कारण है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्ष 2012 से आज तक वन्यजीवों के अवैध शिकार और तस्करी के लिए कुल कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया और दोषी ठहराया गया है;

(घ) अवैध शिकार को रोकने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए/उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) अवैध शिकार-रोधी उपायों को प्रभावी ढंग से लागू करने में सफल न होने के क्या कारण हैं?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री
(श्री प्रकाश जावडेकर)

(क) वर्ष 2012 से 2018 तक अवैध शिकार और जब्ती के पुष्ट मामले **अनुबंध-I** में दिए गए हैं।

(ख) तस्करी के साथ-साथ अवैध शिकार के लिए भी वन्यजीवों की दुर्लभ और संकटापन्न प्रजातियों को मारा जाता है।

(ग) राज्य वन और पुलिस प्राधिकारियों से प्राप्त सूचना के आधार पर वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो के उपलब्ध रिकार्डों के अनुसार, भारत में 2012 से 2018 तक वन्यजीवों के अवैध शिकार के मामलों में 9253 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया।

(घ) अवैध शिकार पर नियंत्रण लगाने के लिए राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए) के माध्यम से भारत सरकार द्वारा उठाए गए / उठाए जा रहे कदम अनुबंध-II में दिए गए हैं।

(ङ) भारत सरकार द्वारा की गई पहलों के कारण अवैध शिकार को रोकने के लिए अवैध शिकार-रोधी उपायों को सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया गया है।

*****

अनुबंध-।

'वन्यजीवों का अवैध शिकार और तस्करी' के संबंध में दिनांक 21.06.2019 को उत्तर के लिए लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं.160 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

वर्ष 2012 से 2018 तक अवैध शिकार और जब्ती के पुष्ट मामले

क 2012 से 2018 तक अवैध शिकार के मामले

राज्य	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	कुल
आंध्र प्रदेश	0	0	1	0	0	0	1	2
अरुणाचल प्रदेश	1	0	0	0	0	0	0	1
असम	3	7	2	0	4	2	0	18
बिहार	0	0	0	0	2	0	0	2
कर्नाटक	1	7	0	4	4	5	3	24
केरल	2	3	0	0	0	0	0	5
मध्य प्रदेश	4	2	2	2	8	9	4	31
महाराष्ट्र	4	4	0	1	1	7	3	20
नागालैंड	0	0	0	0	1	0	0	1
ओडिशा	0	0	0	0	0	0	2	2
तमिलनाडु	2	0	5	1	0	2	0	10
तेलंगाना	0	0	0	0	1	0	0	1
उत्तर प्रदेश	4	0	1	2	0	1	2	10
उत्तराखंड	2	6	2	2	0	1	0	13
पश्चिम बंगाल	0	0	0	0	0	0	1	1
कुल	**23**	**29**	**13**	**12**	**21**	**27**	**16**	**141**

ख 2012 से 2018 तक जब्ती के मामले

राज्य	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	कुल
आंध्र प्रदेश	0	0	2	0	0	0	0	**2**
असम	0	0	0	2	2	5	1	**10**
बिहार	0	0	0	0	2	0	0	**2**
छत्तीसगढ़	1	0	2	1	2	2	1	**9**
हरियाणा	1	0	0	0	0	0	0	**1**
दिल्ली	0	0	0	0	2	0	0	**2**
कर्नाटक	4	1	0	0	1	1	2	**9**
केरल	0	1	1	0	1	0	0	**3**
मध्य प्रदेश	3	0	1	4	1	1	2	**12**
महाराष्ट्र	1	0	3	0	1	0	0	**5**
नगालैंड	0	0	0	0	0	0	1	**1**
ओडिशा	1	0	0	1	0	0	0	**2**
राजस्थान	1	0	0	0	0	0	0	**1**
तमिलनाडु	1	0	2	0	1	0	0	**4**
तेलंगाना	0	0	1	0	1	0	0	**2**
उत्तर प्रदेश	1	0	0	2	1	1	1	**6**
उत्तराखंड	1	2	0	1	6	1	0	**11**
पश्चिम बंगाल	1	0	0	0	1	0	0	**2**
कुल	**16**	**4**	**12**	**11**	**22**	**11**	**8**	**84**

***

अनुबंध-।।

'वन्यजीवों का अवैध शिकार और तस्करी' के संबंध में दिनांक 21.06.2019 को उत्तर के लिए लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं.160 के भाग (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

अवैध शिकार को रोकने के लिए राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के माध्यम से उठाए गए / उठाए जा रहे कदम

1. जेनेरिक उपाय

- सुरक्षा, अवसरंचना और शिकार-रोधी कार्यों हेतु ''बाघ परियोजना'' की केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम (बाघ सुरक्षा बल और विशेष बाघ सुरक्षा बल की तैनाती सहित) के अंतर्गत राज्यों को सहायता प्रदान करना।
- बाघ रिजर्व क्षेत्रों के बाहर स्थित बाघ बहुल संवेदी वन क्षेत्रों में गश्ती करने के लिए एनटीसीए के माध्यम से अनुदान प्रदान करना।
- आवश्यकता अनुसार राज्यों को सचेत करना।
- शिकारियों / वन्यजीव अपराधियों से संबंधित सूचना के अगले / पिछले सूत्रों की वास्तविक समय सूचना का प्रचार-प्रसार।
- जाल/फन्दों की जांच करने हेतु वन तल के चप्पे-चप्पे की खोज के लिए राज्यों को परामर्श देना।
- राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण और इसके क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से पर्यवेक्षण संबंधी क्षेत्र दौरे करना।
- थर्मल कैमरों का प्रयोग करके बेहतर निगरानी (ई-आई प्रणाली) के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग करना।
- अलग-अलग बाघों की फोटो आईडी डाटाबेस रखने के लिए कैमरा ट्रैपों का प्रयोग करके बाघ रिजर्व क्षेत्र स्तर की निगरानी शुरू करना।
- जब्त किए गए शरीर के अंगों या मृत बाघों के साथ संबद्ध स्थापित करने हेतु हर बाघ की अलग-अलग फोटो खीचंकर एक राष्ट्रीय डाटाबेस बनाना।
- बाघ परियोजना के अंतर्गत फील्ड स्टाफ के प्रयासों को सम्पूरित करने के लिए सुरक्षा हेतु बड़े पैमाने पर स्थानीय कार्यबल की तैनाती हेतु राज्यों को सहायता देकर कुल मिलाकर, लगभग 25 करोड़ रूपए की धनराशि, जो केन्द्रीय सहायता का 50% है, से लगभग 25 लाख श्रम दिवस सृजित किए जाते हैं (राज्यों द्वारा 50% बराबर अंश को छोड़कर)। कई स्थानीय आदिवासी (गैर-आदिवासियों के अलाव), इस तरह का कार्यबल बनाते हैं अर्थात् मध्य प्रदेश में बैगस, गोंड्स, महाराष्ट्र में गोंड्स, आंध्र प्रदेश में चेंचस, कर्नाटक में शोलिगस, उत्तराखंड में गुज्जर और तमिलनाडु में इरूलस कुछेक नाम हैं।
- बाघ रिजर्वों में ऑन लाईन बाघ/वन्यजीव अपराध ट्रेंकिंग/रिपोर्टिंग सिस्टम की दिशा में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण और वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो के सहयोग और वन्यजीव के उत्पादों के सीमा-पारीय व्यापार को नियंत्रित करने के लिए इंटरपोल के साथ समन्वय करने के लिए पहलें की गई हैं।

- काजीरंगा बाघ रिजर्व क्षेत्र के स्टाफ के लिए बीमा/ कार्पस निधि।
- भिन्न-भिन्न न्यायालयों में मामलों को दर्ज कराने के माध्यम से अपराधियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित कराने के लिए बाघ रिजर्व प्रशासन/बाघ बहुल राज्यों को प्रोत्साहित करना।
- नेपाल, बांग्लादेश, भूटान और रूस जैसे पड़ोसी देशों के साथ द्विपक्षीय सहयोग करना।

- स्रोत क्षेत्र का पता लगाने के लिए बाघ बहुल देशों के बीच बाघों की खाल सहित शरीर के भागों की जब्ती के संबंध में सूचना को साझा करना। भारत ने पहले ही इस संबंध में जोहान्सबर्ग में साईट्स सीओपी-17 में एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया जिस पर सदस्य देशों ने सहमति व्यक्त की थी।

2. **सुरक्षा योजना**

राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने प्रत्येक बाघ रिजर्व के लिए एक सुरक्षा योजना तैयार करने के लिए जेनेरिक दिशानिर्देश तैयार किए हैं जो बाघ संरक्षण योजना में प्रचालनरत है और जो वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 की धारा 38V के अन्तर्गत कानूनी रूप से अधिदेशित है।

3. **सुरक्षा लेखा परीक्षा**

राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने सुरक्षा खतरों का आकलन करने और स्थल विशिष्ट सुरक्षा योजना, जो इस समय चरण-। में 25 विभिन्न बाघ रिजर्वों में चलाई जा रही है, के लिए एक ढांचा विकसित किया है।

4. एम-एसटीआरआइपीइएस (बाघ बहुलता के लिए निगरानी प्रणाली-सुरक्षा और पारिस्थितिकीय स्तर)

यह एक एंड्राइड एप्लिकेशन है जिसके तीन अलग-अलग माड्यूल हैं नामत: पेट्रोल माड्यूल, इकोलोजिकल माड्यूल और कन्फ्लिक्ट माड्यूल। पेट्रोल माड्यूल अन्य बातों के साथ-साथ एक तंत्र है जो शिकार रोधी प्रयासों के विषय में अग्रणी पंक्ति के स्टाफ की जबावदेही सुनिश्चित करता है और एम-एसटीआरआइपीइएस के जरिए सृजित आंकड़ों के आधार पर सुरक्षा उपायों को मजबूत बनाने के लिए बाघ रिजर्व प्रबंधन के लिए उपयोगी है।

*****